प्रश्न–पत्र पुस्तिका / QUESTION PAPER BOOKLET

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या : 32
Number of Pages in Booklet : 32

पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या : 100
Number of Questions in Booklet : 100

A बुकलेट सीरीज

समय / Time : 2.00 घंटे / Hours

पूर्णांक / Maximum Marks : 100

INSTRUCTIONS

1. Answer all questions.
2. All questions carry equal marks.
3. Only one answer is to be given for each question.
4. If more than one answer is marked, it would be treated as wrong answer.
5. Answers are to be marked on the OMR Answer Sheet, which is provided separately.
6. Each question has four options marked serially as 1,2,3,4, out of which only one is correct. Candidate has to darken only one circle or bubble indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLACK/ BLUE BALL POINT PEN.
7. There is no Negative Marking.
8. Mobile Phone or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. A candidate found with any of such objectionable material with him/her will be strictly dealt as per rules.
9. Please carefully and correctly fill your Roll Number and Series printed on Question Paper Booklet on O.M.R. Answer Sheet.
10. If there is any sort of ambiguity / mistake either of printing or factual nature then out of Hindi and English Version of the question, the English Version will be treated as standard.
11. Answer to the question by darkening multiple circles or by wrong method or using whitener will not be evaluated.

Warning : Candidate using unfair means in the exam will be disqualified & action as per law shall be taken.

निर्देश

1. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए ।
2. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं ।
3. प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए ।
4. एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जाएगा ।
5. प्रश्नों के उत्तर पृथक से दिये जाने वाले ओ.एम. आर. पत्रक पर अंकित करें ।
6. प्रत्येक प्रश्न के साथ चार विकल्प दिये गये हैं, जिन्हें क्रमशः 1,2,3,4 अंकित किया गया है, जिनमें से एक सही है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उनमें से केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर–पत्रक पर नीले / काले बॉल प्वॉइंट पेन से गहरा करना है ।
7. कोई नकारात्मक अंकन नहीं है ।
8. परीक्षा हॉल में मोबाईल फोन अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र पूर्णतः वर्जित है । किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी वर्जित सामग्री पाये जाने पर उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी ।
9. कृपया अपना रोल नम्बर एवं प्रश्न पत्र पुस्तिका पर अंकित सीरीज ओ.एम.आर. उत्तर–पत्रक पर सावधानी पूर्वक सही भरें ।
10. यदि किसी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई मुद्रण या तथ्यात्मक प्रकार की अस्पष्टता / त्रुटि हो तो प्रश्न के हिन्दी तथा अंग्रेजी रूपान्तरों में से अंग्रेजी रूपान्तर मान्य होगा ।
11. एक से अधिक गोले भरने या गलत तरीके से गोला भरने अथवा व्हाइटनर का उपयोग करने पर उस उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा ।

चेतावनी : परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा एवं विधिनुसार कार्यवाही की जायेगी।

CONFIDENTIAL SEAL

1. Under provisions of Indian Succession Act, 1925 probate cannot be granted to:-
   (1) A married daughter.
   (2) A minor son.
   (3) Illegitimate child .
   (4) Half brother.

1. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रोबेट प्रदान नहीं किया जा सकता है:–
   (1) एक विवाहिता पुत्री को ।
   (2) एक अवयस्क पुत्र को ।
   (3) अधर्मज शिशु को ।
   (4) अर्धरक्त भाई को ।

2. Under the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956 who among the following cannot be adopted:-
   (1) A Hindu.
   (2) Already adopted child.
   (3) A minor.
   (4) An unmarried child.

2. हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत इनमें से किसे दत्तक नहीं लिया जा सकता है :–
   (1) एक हिन्दू को ।
   (2) पूर्व से दत्तक बालक को ।
   (3) एक अवयस्क को ।
   (4) एक अविवाहित बालक को ।

3. Which of the following is not a 'Public Utility Service' for the purpose of the Legal Services Authority Act, 1987:-
   (1) Transport Service.
   (2) Postal, Telegraph or Telephone Service.
   (3) Insurance Service.
   (4) Banking Services.

3. विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित में से कौनसी "जन उपयोगी सेवा" नहीं है :–
   (1) परिवहन सेवा ।
   (2) डाक, तार अथवा दूरभाष सेवा ।
   (3) बीमा सेवा ।
   (4) बैंकिग सेवा ।

4. In a case where a party is added or substituted owing to assignment or devolution of any interest during the pendency of a suit, the suit shall as regards him, be deemed to have been instituted:-
   (1) On the date the suit was instituted.
   (2) When he was so made a party.
   (3) On the date when the application for addition or substitution is made.
   (4) None of the above.

4. वाद के लम्बित रहने के दौरान एक प्रकरण में समनुदेशन अथवा किसी हित के न्यागमन के कारण एक पक्षकार जोड़ा अथवा प्रतिस्थापित किया गया है, ऐसे पक्षकार के सम्बन्ध में वाद संस्थित हुआ होना माना जायेगा:–
   (1) उस दिनांक को जब वाद संस्थित किया गया था ।
   (2) जब उसे पक्षकार बनाया गया था ।
   (3) उस दिनांक को जब जोड़ने अथवा प्रतिस्थापित करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया ।
   (4) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

5. As per Schedule for compensation for third party fatal accidents under Section 163A of the Motor Vehicles Act, 1988 the amount of compensation arrived at, in consideration of the expenses, which a victim would have incurred, towards maintaining himself, had he been alive, shall be reduced by:-
   (1) 1/2
   (2) 1/3
   (3) 1/4
   (4) 1/8

5. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163क के अन्तर्गत तृतीय पक्ष घातक दुर्घटना सम्बन्धी दावों के लिये प्रतिकर की अनुसूची के अनुसार परिवलित प्रतिकर की रकम में से उन व्ययों को ध्यान में रखते हुए, जो आहत व्यक्ति अपने पालन–पोषण हेतु उपगत करता, यदि वह जीवित रहता, रकम घटाई जायेगी:–
   (1) 1/2
   (2) 1/3
   (3) 1/4
   (4) 1/8

6. For an instrument of gift of immovable property, under the Registration Act, 1908:-
   (1) Registration is compulsory.
   (2) Registration is optional.
   (3) Registration is exempted.
   (4) None of the above.

6. पंजीयन अधिनियम, 1908 के अन्तर्गत एक स्थावर सम्पत्ति के दान विलेख हेतु:–
   (1) पंजीयन अनिवार्य है ।
   (2) पंजीयन ऐच्छिक है ।
   (3) पंजीयन से छूट प्राप्त है ।
   (4) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

7. Where the time limit of a lease is of a year or number of years, which is expressed to be determinable before its expiration, and the lease omits to mention at whose option it is so terminable, who shall have such option:-
   (1) Lessee.
   (2) Lessor.
   (3) Transferor.
   (4) None of the above.

7. जहाँ पट्टा एक वर्ष या अधिक वर्षों की समयावधि का है, जिसमें इसके अवसान से पूर्व पर्यावसित योग्य होना उल्लेखित है और पट्टे में किसके विकल्प पर पर्यवसनीय होगा, इस तथ्य का लोप है तो ऐसा करने का विकल्प किसके पास होगा:–
   (1) पट्टेदार ।
   (2) पट्टाकर्त्ता ।
   (3) अन्तरणकर्त्ता ।
   (4) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

8. The maxim 'Actus curiae neminem gravabit' means:-
   (1) An act of the Court shall prejudice no man.
   (2) The act of God does wrong to no one.
   (3) An act in law shall prejudice no man.
   (4) An act does not constitute guilt unless done with a guilty intention.

8. सूत्र "Actus curiae neminem gravabit" से आशय है :–
   (1) न्यायालय के कार्य से किसी की हानि नहीं होती ।
   (2) दैवीय कार्य किसी को क्षति नहीं पहुँचाता ।
   (3) विधिक कार्य से किसी की हानि नहीं होती ।
   (4) केवल कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाता यदि उसका मन भी अपराधी न हो ।

9. Which of the following is not an internal aid to the construction or interpretation of statute:-
   (1) Long Title of an Act.
   (2) Illustrations.
   (3) Marginal Notes appended to a section.
   (4) Preamble of a statute.

9. निम्नलिखित में से कौनसा विधि के अर्थान्वयन अथवा निर्वचन हेतु आंतरिक रूप से सहायक नहीं है:–
   (1) एक अधिनियम का लम्बा शीर्षक ।
   (2) उदाहरण ।
   (3) धारा में संलग्न पार्श्व टिप्पणी ।
   (4) विधि की प्रस्तावना ।

10. Iddat period, in case of a divorced woman, if she is subject to menstruation,means:-
   (1) Three menstrual courses after the date of divorce.
   (2) Six months period after the date of divorce.
   (3) Nine menstrual courses after the date of divorce.
   (4) Nine months period after the date of divorce.

10. तलाकशुदा स्त्री के मामले में, यदि वह मासिक धर्म में हों, इद्दत की अवधि से अभिप्रेत है:–
   (1) तलाक की दिनांक से तीन ऋतुकाल ।
   (2) तलाक की दिनांक से छः माह की अवधि ।
   (3) तलाक की दिनांक से नौ ऋतुकाल ।
   (4) तलाक की दिनांक से नौ माह की अवधि ।

11. For the purpose of Rajasthan Relief of Agricultural Indebtness Act, 1957, the term 'agriculture' does not include:-
    (1) Horticulture.
    (2) Breeding of cattle, camels, sheep or goats.
    (3) Bee farming and collecting honey.
    (4) Reserving of land for fodder grazing or thatching grass.

11. राजस्थान कृषि ऋणिता अवमुक्ति अधिनियम, 1957 के प्रयोजनार्थ शब्द "कृषि" में सम्मिलित नहीं है:–
    (1) उद्यान कृषि ।
    (2) पशु, ऊंट, भेड़ या बकरियां पालना ।
    (3) मधुमक्खी पालन एवं शहद एकत्रित करना ।
    (4) चारे की चराई या छवाने की घास के लिए भूमि का आरक्षण ।

12. Any person aggrieved by an order made by the Collector (Stamps) can apply for a revision under Section 65 of the Rajasthan Stamp Act, 1998, before:-
    (1) Rajasthan High Court.
    (2) Chief Controlling Revenue Authority.
    (3) Inspector General of Stamps.
    (4) State Government.

12. कलक्टर (मुद्रांक) के आदेश से व्यथित व्यक्ति, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 65 के अन्तर्गत पुनरीक्षण हेतु किसके समक्ष आवेदन कर सकता है :–
    (1) राजस्थान उच्च न्यायालय ।
    (2) मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी ।
    (3) महानिरीक्षक मुद्रांक ।
    (4) राज्य सरकार ।

13. The Supreme Court of India in the exercise of its jurisdiction may make such order as is necessary for doing complete justice in any case, such power is conferred by:-
    (1) Article 141 of the Constitution of India.
    (2) Article 142 of the Constitution of India.
    (3) Article 32 of the Constitution of India.
    (4) Article 124 of the Constitution of India.

13. भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो कि किसी वाद में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो, ऐसी शक्ति प्रदत्त की गई है:–
    (1) भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 द्वारा ।
    (2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 द्वारा ।
    (3) भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा ।
    (4) भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 द्वारा ।

14. In which Judgement, Hon'ble Supreme Court has held Right to Privacy to be a Fundamental Right:-
    (1) Subramanium Swamy vs. Union of India & Ors.
    (2) Lok Prahari vs. Union of India & Ors.
    (3) Justice Sunanda Bhandare Foundation vs. Union of India & Ors.
    (4) Justice K.S.Puttaswamy & Anr. vs. Union of India & Ors.

14. किस निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार होना अभिनिर्धारित किया है:–
    (1) सुब्रह्मण्यम् स्वामी बनाम् भारत संघ एवं अन्य ।
    (2) लोकप्रहरी बनाम् भारत संघ एवं अन्य ।
    (3) जस्टिस सुनंदा भण्डारे फाउण्डेशन बनाम् भारत संघ एवं अन्य ।
    (4) जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी एवं अन्य बनाम् भारत संघ एवं अन्य ।
15. Which of the following is a valid defence against an action in tort:-
    (1) Mistake of fact.
    (2) Act of God.
    (3) Minority.
    (4) None of the above.
15. अपकृत्य में एक कार्य के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी एक वैध प्रतिरक्षा है:–
    (1) तथ्य की भूल ।
    (2) दैवीय कृत्य ।
    (3) अवयस्कता ।
    (4) उपरोक्त में से कोई नहीं ।
16. When a marriage has been dissolved by a decree of divorce under Hindu Marriage Act,1955 and there is a right of appeal, the divorced persons may marry again:-
    (1) After expiry of 1 month from the decree of divorce.
    (2) Immediately after passing of the decree of divorce.
    (3) After expiry of 2 months from the decree of divorce.
    (4) After expiry of the time for appealing, without any appeal having been presented.
16. जब विवाह, हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत विवाह विच्छेद की डिक्री द्वारा विघटित कर दिया गया हो और अपील का अधिकार हो तो विवाह विच्छेद प्राप्त व्यक्ति पुनः विवाह कर सकेंगे:–
    (1) विवाह विच्छेद की डिक्री के एक माह के अवसान के पश्चात् ।
    (2) विवाह विच्छेद की डिक्री पारित होने के तुरन्त पश्चात् ।
    (3) विवाह विच्छेद की डिक्री के दो माह के अवसान के पश्चात् ।
    (4) अपील की अवधि के अवसान के पश्चात्, यदि कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई हो ।
17. Promissory estoppel is the extension of principle contained in which provision of the Evidence Act:-
    (1) Section 65
    (2) Section 110
    (3) Section 115
    (4) Section 150
17. वचन–विबन्ध, साक्ष्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किस प्रावधान के सिद्धान्त का विस्तार है:–
    (1) धारा 65
    (2) धारा 110
    (3) धारा 115
    (4) धारा 150

18. Prior to the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 coming into force, who amongst the following was not Class I heir of male Hindu dying intestate:-
    (1) Mother.
    (2) Widow .
    (3) Daughter.
    (4) None of the above.

18. हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 के प्रभाव में आने से पूर्व, निम्न में से कौन निर्वसीयत मृत हिन्दू पुरूष का प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं थाः–
    (1) माता।
    (2) विधवा।
    (3) पुत्री।
    (4) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

19. Under which provision of Rajasthan Land Revenue Act, 1956, a person without lawful authority occupying land, which is at the disposal of local authority, can be evicted:-
    (1) Section 91 of the Act
    (2) Section 90-A of the Act
    (3) Section 90-B of the Act
    (4) Section 92 of the Act

19. एक व्यक्ति, किसी भूमि, जो कि स्थानीय प्राधिकारी के व्ययन पर है, पर बिना विधिसंगत प्राधिकार के काबिज है, को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के किस प्रावधान के अन्तर्गत बेदखल किया जा सकता हैः–
    (1) अधिनियम की धारा 91
    (2) अधिनियम की धारा 90-क
    (3) अधिनियम की धारा 90-ख
    (4) अधिनियम की धारा 92

20. 'Decree', as defined by Section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 does not include:-
    (1) A preliminary decree.
    (2) Rejection of a plaint.
    (3) Determination of any question within Section 144 CPC.
    (4) Any order of dismissal for default.

20. सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2 में परिभाषित "डिक्री" में सम्मिलित नहीं हैः–
    (1) एक प्रारंभिक डिक्री ।
    (2) वादपत्र का नामंजूर किया जाना ।
    (3) धारा 144 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत किसी प्रश्न का अवधारण ।
    (4) व्यतिक्रम हेतु खारिज़ करने का कोई आदेश ।

21. Against a decree passed in a suit after recording a compromise, an appeal on the ground that the compromise should not have been recorded, can be filed under:-
    (1) Section 151 CPC.
    (2) Order XXIII CPC.
    (3) Order XLIII Rule 1-A CPC.
    (4) None of the above.

21. समझौता लेखबद्ध करने के उपरान्त वाद में पारित किसी डिक्री के विरुद्ध अपील, इस आधार पर कि समझौता लेखबद्ध नहीं किया जाना चाहिए था, किस प्रावधान के अन्तर्गत प्रस्तुत की जा सकती है:–
    (1) धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता ।
    (2) आदेश XXIII सिविल प्रक्रिया संहिता ।
    (3) आदेश XLIII नियम 1-क सिविल प्रक्रिया संहिता ।
    (4) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

22. Chapter II and III of Rajasthan Rent Control Act, 2001 applies to:-
    (1) Any premises let out to a citizen of a foreign country.
    (2) Any premises belonging to or vested in a University established by any law for the time being in force.
    (3) Any premises belonging to a Government Company as defined under Section 617 of the Companies Act, 1956.
    (4) Any premises situated in the municipal area of Jaipur City, let out for residential purposes, for a monthly rent of Rs. 8,000/-.

22. राजस्थान किराया नियंत्रण अधिनियम, 2001 के अध्याय II और III लागू होते हैं:–
    (1) ऐसे किन्हीं परिसरों को, जिन्हें किसी विदेशी नागरिक को किराये पर दिया गया हो ।
    (2) किन्हीं भी ऐसे परिसरों को, जो तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के हों या उसमें निहित हों ।
    (3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित किसी सरकारी कम्पनी के किन्हीं परिसरों को ।
    (4) जयपुर शहर के नगरपालिका क्षेत्र में स्थित किन्हीं परिसरों को, जिन्हें आवासीय प्रयोजनार्थ 8000/- रुपये मासिक किराये पर दिया गया हो ।

23. A suit against a municipality or its officers can be instituted otherwise than for the recovery of immovable property or for a declaration of title thereto:-
    (1) After six months of the accrual of cause of action.
    (2) After eight months of the accrual of cause of action.
    (3) Within six months next after the accrual of cause of action.
    (4) None of the above.

23. अचल सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण अथवा उसके स्वत्व की घोषणा के सिवाय एक वाद नगरपालिका अथवा उसके अधिकारियों के विरुद्ध संस्थित किया जा सकता है:–
    (1) वादकारण उद्‌भूत होने के छः माह पश्चात् ।
    (2) वादकारण उद्‌भूत होने के आठ माह पश्चात् ।
    (3) वादकारण उद्‌भूत होने के पश्चात् आगामी छः माह के भीतर ।
    (4) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

24. The grant of and transfer of licences is governed by:-
    (1) The Transfer of Property Act, 1882.
    (2) The Specific Relief Act, 1963.
    (3) The Indian Contract Act, 1932.
    (4) The Indian Easements Act, 1882.

24. अनुज्ञप्तियों की मंजूरी और अन्तरण शासित होते हैं:–
(1) सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, 1882 द्वारा ।
(2) विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 द्वारा ।
(3) भारतीय संविदा अधिनियम, 1932 द्वारा ।
(4) भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 द्वारा ।

25. Under Rajasthan Court fees and Suits Valuation Act, 1961, all questions arising on a plea that the subject matter of the suit has not been properly valued or that the fee paid is not sufficient, are required to be heard and decided:-
(1) At the final hearing of the suit.
(2) At the discretion of the trial court.
(3) Before the hearing of the suit as contemplated by Order XVIII CPC.
(4) None of the above.

25. राजस्थान न्यायालय फीस एवं वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत, इस तर्क पर उत्पन्न होने वाले सभी प्रश्न, कि वाद की विषय–वस्तु को समुचित मूल्यांकित नहीं किया गया है अथवा संदत्त फीस पर्याप्त नहीं है, सुने एवं निर्णित किये जायेंगे:–
(1) वाद की अन्तिम सुनवाई के समय ।
(2) विचारण न्यायालय के विवेक पर ।
(3) वाद की सुनवाई से पूर्व जैसा कि आदेश XVIII सिविल प्रक्रिया संहिता में अनुध्यात है ।
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

26. Which of the contract is not specifically enforceable:-
(1) A contract for the non performance of which compensation in money is not an adequate relief.
(2) A contract which is in its nature determinable.
(3) A contract, the performance of which does not involve the performance of a continuous duty, which the Court can supervise.
(4) A contract which is not dependent on the personal qualification or volition of the parties.

26. कौनसी संविदा विनिर्दिष्ट रूप से प्रवर्तनीय नहीं है:–
(1) वह संविदा, जिसके अपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर यथायोग्य अनुतोष नहीं हो।
(2) वह संविदा, जो उसकी प्रकृति से ही पर्यवसेय हो ।
(3) वह संविदा, जिसके पालन में ऐसा सतत् कर्त्तव्य का पालन अन्तर्वलित नहीं हो, जिसका न्यायालय पर्यवेक्षण कर सके ।
(4) वह संविदा, जो पक्षकारों की व्यक्तिगत अर्हताओं अथवा स्वेच्छा पर आश्रित नहीं हों ।

27. The power of review on the Board of Revenue and other revenue courts is conferred by which provision of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 :-
(1) Section 207
(2) Section 224
(3) Section 229
(4) Section 230

27. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के किस प्रावधान के अन्तर्गत राजस्व मण्डल एवं अन्य राजस्व न्यायालयों को पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदत्त की गई है:–
    (1) धारा 207
    (2) धारा 224
    (3) धारा 229
    (4) धारा 230
28. Which of the following is not a negotiable instrument :-
    (1) Promissory note.
    (2) Fixed Deposit Receipt.
    (3) Bill of Exchange.
    (4) A cheque.
28. निम्न में से कौनसा एक परक्राम्य विलेख नहीं है :–
    (1) वचन–पत्र ।
    (2) सावधि जमा रसीद ।
    (3) विनिमय–पत्र ।
    (4) चैक ।
29. Under the General Rules (Civil), 1986 all pleadings, applications and petitions filed in the course of civil judicial proceedings, shall be written in:-
    (1) Hindi.
    (2) English.
    (3) Any language specified in the Eighth Schedule of the Constitution of India.
    (4) None of the above.
29. सामान्य नियम (दीवानी), 1986 के अन्तर्गत सभी अभिवचन, आवेदन–पत्र और याचिकाएं, जो दीवानी न्यायिक कार्यवाहियों में प्रस्तुत की जाती हैं, लिखी जायेंगी:–
    (1) हिन्दी ।
    (2) अंग्रेजी ।
    (3) भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भाषा ।
    (4) उपरोक्त में से कोई नहीं ।
30. Under the Arbitration and Conciliation Act, 1996, in the case of international commercial arbitration 'Court' means:-
    (1) The principal Civil Court of original jurisdiction.
    (2) Small Causes Court.
    (3) The High Court .
    (4) None of the above.
30. माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थ के मामले में "न्यायालय" से अभिप्रेत है:–
    (1) आरम्भिक अधिकारिता का प्रधान दीवानी न्यायालय ।
    (2) लघुवाद न्यायालय ।
    (3) उच्च न्यायालय ।
    (4) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

31. An order refusing to refer the parties to arbitration under Section 8 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 is appealable under :-
(1) Section 34 of the Act.
(2) Article 227 of the Constitution of India.
(3) Section 37 of the Act.
(4) Section 11 of the Act.

31. माध्यस्थम् एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 8 के अन्तर्गत पक्षकारों को माध्यस्थम् हेतु निर्देशित करने से इन्कार करने का आदेश अपील योग्य है:–
(1) उक्त अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत ।
(2) भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अन्तर्गत ।
(3) उक्त अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत ।
(4) उक्त अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत ।

32. The provisions for removal and suspension of any member or Chairperson of a Panchayati Raj Institution under the Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 are contained in:-
(1) Section 119 of the Act.
(2) Section 38 of the Act.
(3) Section 117-A of the Act.
(4) Section 39 of the Act.

32. राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थान के किसी सदस्य अथवा अध्यक्ष को हटाने व निलम्बित करने के प्रावधान अन्तर्विष्ट हैं:–
(1) उक्त अधिनियम की धारा 119 में ।
(2) उक्त अधिनियम की धारा 38 में ।
(3) उक्त अधिनियम की धारा 117-क में ।
(4) उक्त अधिनियम की धारा 39 में ।

33. Under section 10 of the Indian Partnership Act, 1932 every partner is under a duty :-
(1) To render true accounts and full information.
(2) To indemnify the firm for any loss caused to it by his fraud in the conduct of the business of the firm.
(3) Not to carry on any business other than that of the firm.
(4) To be just and faithful to each other.

33. भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 10 के अन्तर्गत प्रत्येक भागीदार का कर्त्तव्य है:–
(1) सही हिसाब एवं पूर्ण सूचना देना ।
(2) उस हर हानि के लिए फर्म की क्षतिपूर्ति करना, जो फर्म के कारबार के संचालन में उसके कपट से फर्म को कारित हुई हो ।
(3) फर्म के कारबार के अतिरिक्त अन्य कोई कारबार संचालित नहीं करना ।
(4) एक दूसरे के प्रति विश्वासपरायण व वफादार होना ।

34. Under Sale of Goods Act, 1930, movable goods does not include:-
(1) Stock and shares.
(2) Grass.
(3) Money.
(4) Growing crops.

34. माल विक्रय अधिनियम, 1930 के अन्तर्गत, चल माल में सम्मिलित नहीं है:–
(1) स्टॉक एवं शेयर्स ।
(2) घास ।
(3) धन ।
(4) उगती फसलें ।

35. In a suit against a Corporation, the summons may be served on:-
(1) Any employee of the corporation.
(2) Relative of the director of the corporation.
(3) Principal officer of the corporation.
(4) None of the above.

35. किसी निगम के विरुद्ध वाद में समन की तामील की जायेगी:–
(1) निगम के किसी भी कर्मचारी पर ।
(2) निगम के निदेशक के रिश्तेदार पर ।
(3) निगम के प्रधान अधिकारी पर ।
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

36. The offences under Sections 66B, 66C, 66D and 66E of Information and Technology Act, 2000, are :-
(1) Cognizable.
(2) Sessions Triable.
(3) Non-bailable.
(4) None of the above.

36. सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 66ख, 66ग, 66घ और 66ड़ के अपराध हैं:–
(1) संज्ञेय ।
(2) सेशन्स विचारणीय ।
(3) अजमानतीय ।
(4) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

37. A complainant, of a Magistrate triable case instituted upon a complaint, can challenge the judgment of acquittal passed by the competent court, by filing:-
(1) Revision in the Sessions Court.
(2) Revision in the High Court.
(3) Appeal before a Sessions Court.
(4) Application for grant of leave to appeal in the High Court.

37. परिवाद पर संस्थित किसी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय मामले का परिवादी, सक्षम न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय को, चुनौती दे सकता है:–

(1) सेशन न्यायालय में पुनरीक्षण प्रस्तुत कर ।

(2) उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण प्रस्तुत कर ।

(3) सेशन न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत कर ।

(4) अपील की इजाजत दिये जाने हेतु उच्च न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर ।

38. An information, supplied by an accused under Section 27 of the Evidence Act, shall be recorded:-

(1) In presence of two independent Panch witnesses.

(2) In presence of a Gazetted Officer.

(3) In presence of two Police Officers.

(4) None of the above.

38. साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत एक अभियुक्त द्वारा दी गई सूचना, अभिलिखित की जायेगी:–

(1) दो स्वतंत्र पंच साक्षियों की उपस्थिति में ।

(2) राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में ।

(3) दो पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में ।

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

39. While assessing age of a person under the Juvenile Justice (care and protection of children) Act, 2015, the Court/Board is required to consider the documents/evidence in the following order of preference:-

(1) (i) Birth Certificate issued by a Municipality.
(ii) School Certificate.
(iii) Ossification test report.
(iv) Aadhar Card.

(2) (i) Ossification test report.
(ii) Birth Certificate issued by the Municipality.
(iii) Aadhar Card.

(3) (i) Birth Certificate issued from the school/matriculation certificate.
(ii) Date of birth certificate issued by the Municipality.
(iii) Ossification test report.

(4) None of the above.

39. किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत एक व्यक्ति की आयु का निर्धारण करते समय न्यायालय/बोर्ड को निम्नलिखित दस्तावेज/साक्ष्य को प्राथमिकता के क्रम में विचारित करना होगाः–

(1) (i) नगरपालिका द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र ।
(ii) स्कूल प्रमाण–पत्र ।
(iii) अस्थि–निर्माण परीक्षण रिपोर्ट ।
(iv) आधार कार्ड ।

(2) (i) अस्थि–निर्माण परीक्षण रिपोर्ट ।
(ii) नगरपालिका द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र ।
(iii) आधार कार्ड ।

(3) (i) स्कूल द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र/मैट्रिक परीक्षा का प्रमाण–पत्र ।
(ii) नगरपालिका द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र ।
(iii) अस्थि–निर्माण परीक्षण रिपोर्ट ।

(4) उपरोक्त में से कोई नहीं ।

40. Which of the following orders may not be passed by the Juvenile Justice Board after conducting inquiry of a child in conflict with law:-

(1) Direct the child to attend a school.

(2) Direct the child to attend a vocational training centre.

(3) Sentence the child to imprisonment till he attains 18 years of age.

(4) Direct the child to perform community service.

40. विधि का उल्लंघन करने वाले बालक की जाँच करने के पश्चात् किशोर न्याय बोर्ड निम्नलिखित में से कौन सा आदेश पारित नहीं कर सकेगाः–

(1) बालक को विद्यालय में उपस्थित होने का निर्देश ।
(2) बालक को व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में उपस्थित होने का निर्देश ।
(3) बालक को उसके 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक कारावास का दण्ड ।
(4) बालक को सामुदायिक सेवा करने का निर्देश ।

41. A Children Court trying a child in conflict with law for a heinous offence, is not empowered to :-

(1) Hold trial of a child as an adult.

(2) Hold inquiry of the child as a Juvenile Justice Board.

(3) Sentence the child to imprisonment for a term of 10 years.

(4) Send the child to a place of safety till he attains the age of 21 years.

41. किसी जघन्य अपराध करने वाले विधि का उल्लंघन करने वाले बालक का विचारण करने वाला बालक न्यायालय, सशक्त नहीं हैः–

(1) बालक का एक वयस्क की तरह विचारण करने हेतु ।
(2) बालक की जाँच किशोर न्याय बोर्ड के रूप में करने हेतु ।
(3) बालक को 10 वर्ष की अवधि के कारावास की सजा देने हेतु ।
(4) बालक को उसके 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सुरक्षित स्थान में भेजने हेतु ।